

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 /पार्ट-2/से0नि0/2019/

दिनांक-

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मंगलेश माथुर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	15.06.59	01.01.83	30.06.19
2	गायत्री देवी खत्री, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	झालावाड	01 10.59	23.12.85	30 09.19
3	सुशीला जैन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	झालावाड	02.11.59	24.07.79	30.11 19
4	शशी प्रभा ओझा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बीकानेर	08.09.59	27.12.86	30.09.19
5	पुष्पा शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	सवाई माधोपुर	20.09.59	23.12.85	30.09.19
6	पुष्पा देवी सिसोदिया, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	चित्तौडगढ़	11.09 59	29.01.84	30.09.19
7	शिव दुलारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	सवाई माधोपुर	15.09.59	19.01.86	30.09.19
8	आशा कालरा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर द्वितीय	22 10.59	08.04 87	31.10.19
9	सरोज नाई, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	चूरु	24.10.59	11.04.94	31.10.19
10	परमजीत कौर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	चूरु	25.11 59	25.09.90	30.11.19
11	मरी अम्मा के. सी., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	सवाई माधोपुर	25.10.59	01.10.81	31.10.19
12	लतेश देवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बांसवाडा	12.12.59	17.10.86	31.12.19
13	उषा देवी वैष्णव, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बांसवाडा	22.08.59	24.06.85	31.08.19
14	मोनी पी. जोन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	नागौर	01.01.60	30.06.83	31.12.19
15	पदमा कटारा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डूंगरपुर	22.11.59	11.05.87	30.11.19
16	राजेश कुमारी शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	नागौर	25.12.59	19.11.87	31.12.19
17	मलकीत कौर भाटीया, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	नागौर	12.08.59	20.09.86	31.08.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय ज.च विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

5


क्रमांक - नर्सिंग / नर्स-2(F) / सी-20 / पार्ट-2 / से0नि0 / 2019 / 826

दिनांक - 11/6/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक

अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन, जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/उदयपुर/जयपुर/अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड/जोधपुर/बीकानेर/सवाई माधोपुर/चित्तौड़गढ़/जयपुर द्वितीय/नागौर/डूंगरपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, औसिया, (जोधपुर)/झालरापाटन (झालावाड)/बीकानेर/सवाई माधोपुर/बेगू/गगापुर सिटी/चाकसू (जयपुर)/रियाबडी (नागौर)/डूंगरपुर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावर, दुर्गपुरा (झालावाड)/बम्बलू (बीकानेर)/काटून्दा (चित्तौड़गढ़)/मीना बडोदा (सवाई माधोपुर)/महादेवपुरा (जयपुर द्वितीय)/गवारडी (नागौर)।
6. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग) मुख्यालय।
7. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल प्रसा) 

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर